प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 12.02.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी-

1- थाना कटघर पुलिस द्वारा 01 वारंटी को किया गया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के आदेशानुसार वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 12-02-2024 को उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह थाना कटघर द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से 01 वारंटी अभियुक्त प्रमोद पुत्र शोभाराम निवासी सूरजनगर थाना कटघर मुरादाबाद सम्बन्धित मु0नं0 10497/19 अ0सं0 721/19 धारा 457/380/411 भादवि को गिरफ्तार किया गया।

2. साइबर क्राइम थाना मुरादाबाद द्वारा टेलीग्राम एप्लीकेशन के माध्यम से लगभग 21 करोड की करने वाले 07 आरोपियों को किया गिरफ्तार तथा कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन व तीन अदद लैपटाप व दो अदद फर्जी इण्डसइण्ड बैंक की किट (एटीएम , मो0न0 , चैक बुक आदि) तथा 05 अदद मोबाईल फोन एवं 15650/- रुपये बरामद ।

अवगत कराना है कि साइबर क्राइम थाना में पंजीकृत मु0अ0सं0 11/2023 धारा 420 भादवि एवं 66 आईटी एक्ट में पंजीकृत कराया गया जिसमें आवेदिका के पास एक टेलीग्राम एप्लिकेशन पर यूजर @Skyscanner_operation , sky scammer Fight 5537 का ऐजेंट आदर्श नाम के यूजर द्वारा एक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर घर बैठे एक - दो घण्टे में काम करने पर आप हर दिन 2000 से 10000 रुपये तक कमा सकते है एक विज्ञापन आया था जिस पर विश्वास कर वादनी द्वारा प्रथम फ्री में एप्लीकेशन को चैक किया गया जिसमें वादनी को 698 रुपयो का लाभ हुआ इसके पश्चात फिर 10 हजार रुपयो का टास्क दिया गया जिसके रिवार्ड में 17824 रुपये प्राप्त हुए फिर 10 हजार एवं 25 हजार रुपयो का निवेश किया गया जिसमें 47945 रुपये प्राप्त हुए इस पर विश्वास करते हुए वादनी द्वारा अपने बैंक खाते से विभिन्न दिनांक 06.10.2023 से 11.10.2023 के मध्य कुल 1526212 /- रुपयो की साइबर ठगी की गयी।

उक्त अपराध के सफल अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,जनपद मुरादाबाद के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी थाना साइबर क्राइम / अपराध जनपद मुरादाबाद के नेतृत्व मे तकनीकी संसाधनो का प्रयोग करते हुए विवेचना मे निरीक्षक / विवेचक साइबर क्राइम थाना मुरादाबाद द्वारा अभिसूचना संकलन करके कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तो उक्त अभियोग की विवेचना में अभियुक्तगण सूरज कुमार वर्मा , अंकित चौधरी , जयशंकर राव, पंकज शाहू, भूपेन्द्र सिंह चौहान, पवन कुमार यादव, जय कुमार विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी / बरामदगी व तमामी विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

1. सूरज कुमार वर्मा पुत्र विष्णुलाल वर्मा निवासी म0न0 160 वृन्दानगर कैम्प वन वार्ज 19 थाना वैशाली नगर जिला दुर्ग। शिक्षा - 12वी पास।
2. अंकित चौधरी पुत्र स्व0 श्री कृण्णा चौधरी निवासी मकान न0- 18 राधाकृष्ण मन्दिर के पीछे न्यू खुर्शीपास थाना खुर्सीपार जिला भिलाई छत्तीसगढ । शिक्षा - 10वी पास।
3. जयशंकर राव पुत्र जयजगदीश राव निवासी शंकुतला स्कूल के पास रामनगर थाना बैशाली नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ, शिक्षा - 9 वी पास।
4. पंकज शाहू पुत्र छगनलाल शाहू निवासी म0न0 104 रामनगर थाना वैशाली नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ शिक्षा-10वी पास।
5. भूपेन्द्र सिंह चौहान पुत्र ईश्वर सिंह चौहान निवासी म0न0 149 न्यू खुर्सी पास भिलाई शिवराज चौक थाना खुर्सीपार जिला भिलाई छत्तीसगढ, शिक्षा- DIPLOMA IN MECHANICAL (polytecnic)।
6. पवन कुमार यादव पुत्र पंचम यादव निवासी म0न0 252 न्यू संतोषी पार्क कैम्प -2 भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग, शिक्षा- बीकॉम।
7. जय कुमार विश्वकर्मा पुत्र विनोद शर्मा मकान न0- 1054 न्यू खुर्सी पास भिलाई संगम चौक थाना खुर्सीपार जिला दुर्ग,शिक्षा -12वी पास ।

वाछिंत अभियुक्त:-

1.- धीरज राठौड निवासी लखनऊ ।

पूछताछ का विवरण :-

सूरज कुमार वर्मा ने पूछताछ पर बताया कि मेरे साथ एक व्यक्ति धीरज राठौड जो कि लखनऊ का रहने वाला है हम लोग पहले गुरुग्राम सैक्टर 57 पर महादेव बैटिंग एप पर आईडी बनाकर गेम खिलवाकर साइबर ठगी का कार्य करते थे जहाँ पर पुलिस के छापे पडने लगे तो हम लोग वहाँ से भाग कर छत्तीसगढ में छिप गये इसके पश्चात धीरज द्वारा कारपोरेट एकाउन्ट की डिमान्ड की गयी कि थी जिसमें एक दिन में 5 करोड की लेन-देन हो सकती है जिसमें धीरज ने कहा कि इसमें प्रतिदिन करोडो का काम होगा जिससे अच्छे रुपये कमाये जा सकते है , जिसमें हवाई जहाज से आने जाने व रुकने की व्यवस्था धीरज द्वारा ही की जाती है। इस काम के लिए सूरज द्वारा अपने साथ सूरज कुमार वर्मा , अंकित चौधरी , जयशंकर राव, पंकज शाहू, भूपेन्द्र सिंह चौहान, पवन कुमार यादव , जय कुमार विश्वकर्मा भिलाई छत्तीसगढ को अपने साथ ठगी में सहयोग के लिए अपने साथ में टीम में शामिल कर लिया था। ये लोग भारत वर्ष में कही पर भी थोडे-थोडे समय के अन्तराल में अपने रहने का ठिकाना बदलते रहते है। ये लोग साइबर ठगी का कार्य अपने कमरे पर तथा किसी सुनसान जगह या पार्क का प्रयोग करते है।

उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि अब तक हमने इस साइबर फ्राड व महादेव बैटिंग एप से करीब 21 करोड से उपर रुपया ठगा है उस पैसो को हमने अपने मंहगे शौको में उडाया है। इस प्रकार से इन अभियुक्तो द्वारा इन्वेस्टेन्ट व बैटिंग के नाम से पूरे भारतवर्ष में कई व्यक्तियो के साथ साइबर धोखाधडी की गयी है।

बरामदगी :-

1. अपराध में प्रयुक्त मोबाईल फोन।
2. दो अदद फर्जी इण्डसइण्ड बैंक की किट (एटीएम , मो0न0 , चैक बुक आदि)
3. तीन अदद लैपट़ाप।
4. 15650 रुपये नगद।

गिरफ्तार / बरामदगी करने वाली टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह
2. निरीक्षक श्री रामसंजीवन
3. मुख्य आरक्षी मनीष तिवारी
4. मुख्य आरक्षी प्रशान्त
5. का0 विवेक कुमार।
6. का0 यश

नोट:- अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।